बउनवान पार्वती व अन्य बनाम चरण सिंह व अन्य
प्रकरण संख्या 2022/040

24.06.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किए कि– वादी द्वारा धारा 88, 91, 53, 188, 92ए आर टी एक्ट के अन्तर्गत दावा पेश किया जिसमें पैरा संख्या 03 में यह निवेदन किया कि उक्त भूमि की सतूसिंह द्वारा 01.07.2014 को वसीयत करवायी थी और इसी भूमि की सतू सिंह द्वारा चरणसिंह व त्रिलोक सिंह के हक में गिफ्ट डीड करवा दी है। गिफ्ट डीड के आधार पर जो इंतकाल संख्या 689 दिनांक 13.06.2018 शून्य व बिला अधिकार है। गिफ्ट डीड के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के नाम से भूमि आयी है। गिफ्ट डीड को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज है उसके बारे में राजस्व न्यायालय निर्णय नहीं कर सकता । जब तक रजिस्टर्ड दस्तावेज सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता तब तक वादीगण उक्त दावे में कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। दावा बार्ड बाई लॉ होने के आधार पर काबिले खारिजी है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का वाद बार्ड बाई लॉ के आधार पर खारिज किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा जवाब बहस में कथन किए गए कि– वादी ने धारा 88, 91, 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत किया है लेकिन यह कहना गलत है कि सतु सिंह ने दिनांक 01.07.2014 को कोई वसीयत चरण सिंह व त्रिलोक सिंह के हक में वसीयत की हो तथा इस भूमि की सतु सिंह, त्रिलोक सिंह के हक में गिफ्ट डीड करवा दी हो, जबकि सतु सिंह के नाम से कोई वसीयत नहीं है तो गिफ्ट डीड करवाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वादी ने आने दावे में अपने अधिकारों की घोषणा का वाद किया हुआ है जो जनाबवाला के क्षेत्राधिकार में है क्योंकि यह तथ्य साक्ष्य में तय होगें कि सतु सिंह की वसीयत सही है या नहीं तथा सतु सिंह को गिफ्ट करने का अधिकार है या नहीं। यह साक्ष्य आने के बाद ही तय किया जा सकता है इस आधार पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता। सतु सिंह के मरने के बाद उसके लीगलयर उसकी पुत्री पार्वती, रानी उर्फ रणजीत कौर, नीमा बाई पुत्री सतु सिंह लड़किया होने के कारण इसका भी भूमि में बराबर हक व हिस्सा है क्योंकि यह सम्पति ईशर सिंह की थी। ईशर सिंह को ही भारत सरकार द्वारा आवंटन किया गया था जो जद्दी जायदाद होने के कारण प्रार्थीयान का जन्म से ही हक व अधिकार है। केवल चरण सिंह, त्रिलोक सिंह का कोई अधिकार नहीं बनता इसलिए वादी द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है अपने अधिकारों की घोषणा के लिए प्रस्तुत किया गया है इसलिए वाद जनाबवाला के क्षेत्राधिकार में है। प्रार्थी ने जानबूझकर गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर के वाद को लम्बा करने के आशय से दिया गया है क्योंकि यह प्रार्थीयान ने जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है इसलिए गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गा है इसलिए खारिज करने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीयान [illegible] पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:24:20 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 संपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्कोप अत्यन्त सिमित है, जिसमें वाद में अभिलिखित कथनों के सही होने की अवधारणा की जाती है। सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 में स्पष्ट लिखा है कि–

(क) जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया है वादी मूल्यांकन ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है एसो कने में असफल रहता है।

(घ) जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में नहीं भरा गया है।

(च) जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों के पालन में असफल रहता है।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के उपरोक्त सुसंगत प्रावधानों के अवलोकन के अनुसार वाद हेतुक नहीं होने की स्थिति में या वाद विधि द्वारा वर्जित होने की स्थिति में ही इन प्रावधानों के तहत वाद खारिज किया जा सकता है। हस्तगत वाद 88, 91, 53, 188, 92ए आरटीए एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादी द्वारा अपने अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। मूल वाद का निस्तारण बाद कायम तनकीयात जरिये साक्ष्य गुणावगुण पर होना है। इस स्तर पर वाद पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 हेतु दिनांक 11.07.2025 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:24:20 IST
Reason: SelfAttested

स्वाति गुप्ता
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर